

31-7-19

पत्रावली पेश हुई। पार्थी एवं पार्थी के वकील को
रुक 2 कर बार 2 आवाज लगाई गई। पार्थी एवं उनके
वकील उपस्थित नहीं हैं। अतः पार्थी पत्र अदम
दाजरी व अदम पैली के स्वारीज किया जाता है।
पत्रावली के सलसुमा लेकर नम्बर से कम हो
तथा शामिल मूल वाड ले।

उपखण्ड अधिकारी
सियास, जिला-टांक